Class - B.A -2(political science honours)
Paper -3
Name of the guest teacher- - Khushbu kumari (department of political science,V.S.J. college, Rajnagar, Madhubani,lnmu

Scanned with CamScanner

Lecture-2
Topic-भारत का संविधान (प्रमुख विशेषताएं)

* मौलिक अधिकार - भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12-35 के अन्तर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे परन्तु बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्पत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार इसकी संख्या घटकर 6 रह गई है।ये मौलिक अधिकार इस प्रकार है -

1.समानता का अधिकार - अनुच्छेद 14-18 तक समानता का अधिकार दिया गया है।इसके अनुसार कानून के सामने सभी नागरिक समान है तथा इसमें भी प्रकार के भेदभाव न किए जाने की व्यवस्था की गई है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार - भारतीय संविधान वन के अनुच्छेद 19-22 तक नागरिकों को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।इसमें अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत 6 मौलिक स्वतंत्रता शामिल है - भाषण देने और अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता,संगठन बनाने की स्वतंत्रता ,बिना शस्त्र लिए शांतिपूर्वक सभाएं करने की स्वतंत्रता,भारत में सभी स्थानों पर घूमने की स्वतंत्रता,किसी भी क्षेत्र में जा कर बसने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय,व्यापार,या रोजगार अपनाने की स्वन्त्रता।अनुच्छेद 20 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभियुक्तों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है।अनुच्छेद 21 यह व्यवस्था करता है कि कानून के अनुसार की जाने वाली किसी कार्यवाही के बिना किसी भी व्यक्ति को जीवित रखने और स्वतंत्रता के अधिकार से विहीन नहीं रखा जा सकता।इसके साथ ही 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 21-A धारा शामिल की गई जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।अनुच्छेद 22 के अधीन राज्य द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान दर्ज किए गए है ताकि किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता को स्वेच्छाचारी ढंग से पुलिस सीमित न कर सके।

Scanned with CamScanner

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार - इसमें अनुच्छेद 23-24 के बीच महिलाओं की खरीद - बेच , बेगार ,और खतरों वाले जगहों पर बाल मजदूरी की मनाही का प्रावधान किया गया है।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद 25-28 के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया गया है।इसके अन्तर्गत चेतना , धर्म,और पूजा पाठ की स्वतंत्रता शामिल है।यह सभी धर्मों को अपने अपने धार्मिक स्थानों का निर्माण करने और इनको चलने की स्वतंत्रता देता है।

5.सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार- इसमें अनुच्छेद 29 एवं 30 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों, उनकी भाषाओं और संस्कृतियों को सुरक्षित रखने और विकसित करने की व्यवस्था करेगा। यह उनको अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने, बनाए रखने और चलाने का अधिकार भी देता है।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार- यह अधिकार मौलिक अधिकार पत्रों की आत्मा है। इसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत के न्यायालय लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। यह सर्वोच्च न्यायालय कोमौलिक अधिकार लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं।

* नागरिकों के मौलिक कर्तव्य - संविधान अपने भाग 4-Aअनुच्छेद 51-A के अधीन नागरिकों के निम्नलिखित 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है-

1. भारतीय संविधान राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान का आदर करना 2. स्वतंत्रता के संग्राम के उच्च आदर्शों पर चलना। 3. भारत की प्रभुसत्ता ,एकता और अखंडता को बनाए रखना। 4. देश की सुरक्षा करना और जब भी आवश्यकता पड़े राष्ट्र के लिए अपनी सेवा अर्पित करना। 5. भारत के सभी लोगों को साझे भ्रातृत्व को बढ़ावा देने और औरतों के मान सम्मान को चोट पहुंचाने वाली प्रत्येक कार्यवाही की निंदा करनी। 6. राष्ट्र की साझी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना।

Scanned with CamScanner

7. प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा करना और जीव जंतुओं के प्रति दया रखना। 8. वैज्ञानिक सोच मानववाद और ज्ञान तथा शोध की भावना को विकसित करना । 9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना । 10. सभी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में शानदार प्राप्तियों के लिए उत्सुक रहने का प्रयास करना। संविधान के 86 वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य में एक और कर्तव्य जोड़ा गया है जिसके अनुसार प्रत्येक माता-पिता का यह कर्तव्य बनाया गया है कि वह अपने बच्चों को आवश्यक रूप में शिक्षा प्रदान करवाएं। परंतु यह मौलिक कर्तव्य नागरिकों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है और ना ही इसको न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है।

* राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत- संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की सबसे आदर्शात्मक विशेषताओं में से एक है। संविधान में यह भाग शामिल करते समय संविधान निर्माता आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हुए।निर्देशक सिद्धांत राज्य प्रशासन के लिए यह निर्देश जारी करते हैं कि वह अपनी नीतियों के द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास का उद्देश्य प्राप्त करें। यह निर्देश केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। परंतु निर्देशक सिद्धांत को किसी भी न्यायालय के द्वारा कानूनी रूप में लागू नहीं किए जा सकते हैं।

* द्वि - सदनीय संघीय संसद - भारतीय संविधान संघीय स्तर पर दो सदन वाले संसद की व्यवस्था करता है और इसको संघीय संसद का नाम देता है। इसके दो सदन है - लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का नियम और लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित सदन है यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा संसद का ऊपरी तथा अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित सदस्य है। यह सदन संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

Scanned with CamScanner

संघीय संसद एक प्रभुसत्ता संपन्न संसद नहीं है।यह संविधान के अधीन गठित की जाती है और यह केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो कि इसको संविधान ने दी है परंतु इसको संविधान के मौलिक संरचना को परिवर्तित किए बिना संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन करने का अधिकार है।

* एकल नागरिकता की व्यवस्था - भारतीय संविधान की एक और विशेषता यह है कि यह सभी राज्यों को समान रूप में भारतीय संघ का भाग बनाता है।यहां के सभी नागरिकों को एक जैसी एक समान नागरिकता प्रदान की गई है जो कि उनको एक समान अधिकार और स्वतंत्रता और राज्य प्रशासन की एक जैसी सुरक्षा प्रदान करती है।

* एकल एकीकृत न्यायपालिका - भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के लिए साझा इकहरी एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्तर का न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य स्तरों पर है और शेष न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं । सर्वोच्च न्यायालय देश में न्याय का अंतिम न्यायालय है। यह भारत में न्यायिक प्रशासन चलाता है और इस पर नियंत्रण रखता है।

* न्यायपालिका की स्वतंत्रता - भारतीय संविधान न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र बनाता है यह इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है - पहला न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ।दूसरा उच्च कानूनी योग्यता और अनुभव वाले व्यक्तियों को ही न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तीसरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बहुत ही कठिन प्रक्रिया के बिना उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। चौथा न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है और इनके लिए विधान पालिका की वोट आवश्यक नहीं होती। पांचवा सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अपना न्यायिक प्रशासन स्वयं संचालित करें ।छठा सर्वोच्च न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जिसको कि उसने इस उद्देश्य के लिए आदेश दिया हो की जाती है।

Scanned with CamScanner

*. न्यायिक पुनर्विलोकन - भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है ।सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण करता है, इसकी सुरक्षा करता है और इसकी व्याख्या करता है। यह लोगों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भी कार्य करता है। भारतीय संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है या संविधान का हनन करती है तो न्यायालय ऐसे कानून को रद्द घोषित कर सकती है।

* संकटकाल स्थिति से संबंधित व्यवस्थाएं - जर्मनी के संविधान के समान ही भारतीय संविधान में भी संकटकाल स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। यह तीन प्रकार की संकट की स्थितियों का वर्णन करता है और भारत के राष्ट्रपति को इनका सामना करने की शक्ति सौंपता है ।इसीलिए सामान्य रूप में इनको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के रूप में जाना जाता है ।संविधान तीन प्रकार की संकटकालीन स्थितियों का वर्णन करता है - पहला राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति दूसरा किसी राज्य में संकटकाल की स्थिति तथा तीसरा वित्तीय संकट काल की स्थिति।भारत के राष्ट्रपति को इन संकटकाल स्थितियों से निपटने के लिए उचित कदम उठाने के अधिकार हैं।

* अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है। अनुच्छेद 330 उनके लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की कुछ स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था करती है। साथ ही राष्ट्रपति यदि यह अनुभव करें कि एंग्लो इंडियन समुदाय को सदन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वह इस समुदाय के दो सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है ।राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटें आरक्षित रखने की व्यवस्थाएं क्रमशः धारा 331 और 332 के अधीन की गई है।

* अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान - भारत का संविधान तैयार करते समय इसके निर्माताओं ने अनेक स्रोतों का प्रयोग किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने उनपर धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और समानता को अपनाने के लिए प्रभाव डाला। इसके साथ ही भारतीय शासन अधिनियम 1935 की कुछ व्यवस्थाओं का भी प्रयोग किया गया और विदेशी संविधान की कई विशेषताओं को भारतीय संविधान में अपनाया गया ।उदाहरण के लिए संसदीय प्रणाली और दो सदन वाली प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार भूतपूर्व सोवियत संघ, कनाडा ,ऑस्ट्रेलिया ,जर्मनी ,आयरलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कई विशेषताओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया।

Scanned with CamScanner